



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39-III/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियम के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र पाल जाटव जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) बड़गाव में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरा कर लेने पर दिनांक 31.01.2022 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रवीन्द्र पाल जाटव के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(कैलाश चंद मीणा)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39-III/आ.कृ./गुप-9/ 18600-94

दिनांक: 24/01/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर, खण्ड उदयपुर।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद उदयपुर।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल करने हेतु।
- 5- श्री रवीन्द्र पाल जाटव, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) बड़गाव।
- 6- निजी पंजिका।


(बी.एस. कुमावत)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)